

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं०-७३/२०२२

रामचन्द्र साह.....वादी

बनाम

आशुतोष मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>DATE</u>	<u>ORDER</u>	<u>REMARKS</u>
01.03.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 03.11.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई आदेश हेतु नियत है। <u>आदेश (ORDER)</u> वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं०-०५ आदर्श कुमार की मृत्यु दिनांक 28.09.2023 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं०-०५ आदर्श कुमार के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपनी विधवा मु० संगीता कुँअर तथा एक पुत्र कृष्ण कुमार मिश्र तथा तीन पुत्री जुगनू कुमारी, गुलगुल कुमारी एवं छोटी कुमारी को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं०-०५ आदर्श कुमार का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं०-०५ आदर्श कुमार की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। प्रस्तुत आवेदन समय सीमा से दाखिल किया गया है। वादी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं०-०५ आदर्श कुमार का नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तद्पश्चात वादी की ओर से	

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं०-७३/२०२२

रामचन्द्र साह.....वादी

बनाम

आशुतोष मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार ०१.०३.२०२४	प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक ०२.०४.२०२४ को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	
------------------------------	--	--